

25/8/22 पत्रावली पेशा हुई वकील प्राची उपस्थित अत्राधिकारी
के द्वारा आदिनामांक पत्रावली पेश नहीं किया गया
है अत्राधिकारी प्रायाप्त अवसर दिए जा चुके हैं
आमंत्रित में पत्रावली का अवलोकन व्यक्त किया जाता है
वकील प्राची को प्राचीना फल अस्थायी निर्देशानुसार
पर सुनाया गया पत्रावली व पत्रावली पर मौजूद
पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया
जाने पश्चात वापस आराजी स्वयं ने 0

120 स्कवा 1.11 ईस्टमर ग्राम बस्सी परवाटलका
बस्सी मं. अं. नि. क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर जिला
वापस आराजी के संबंध में अत्राधिकारी को
पत्रावली किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण
तक बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कोई कार्यवाही
नहीं करे तथा प्राची को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए
किसी कार्यवाही नहीं करे पत्रावली प्रेषित शुभाह लोक कर्म
नम्बर से कम होने पर वास्तविक पत्रावली
मिर्मा आज दिनांक 25/8/22 को सुदी-माघलियम
पुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)